प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. नं. ....
दिनांक प्राप्ति प्रार्थना पत्र ....
दिनांक तैयारी नकल ....
दिनांक नकल देने की ....
स्टाम्प जो लगाये गये ....

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

Registrar
Nath University
Jaipur

(18)

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

RAJASTH

8 JUL

232 से 235

3 355393

॥ विक्रय पत्र ॥

यह विक्रय पत्र आज दिनांक : 26 अगस्त 2006 ईस्वी को श्री भूरा उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री लालू जाति मीना निवासी ग्राम रामपुरा बुजुर्ग, तहसील चाकसू जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त, प्रथमपक्ष (जिसे आगे चलकर इस लेख पत्र में विक्रेता कहा गया है) तथा जिसमें विक्रेता के समस्त दायभागी, स्थानापन्न, उत्तराधिकारी आदि सम्मिलित है और समझे जावेंगे के द्वारा जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एजूकेशनल सोसायटी पंजीकृत कार्यालय : 3, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-85 जरिये चैयरमेन: श्री मनीष गुप्ता उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ गुप्ता, द्वितीयपक्ष (जिसे इस लेख पत्र में आगे चलकर क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है) तथा जिसमें सोसायटी के उत्तराधिकारीगण, निष्पादकगण, प्रशासकगण, विधिक प्रतिनिधिगण शामिल हैं, के हित में निष्पादित किया गया है।

साटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

वाद ... 2034 of 2006

नाम ... श्रीमती पुष्पा मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर

पुत्र श्री ... बनाम श्री मुरारी लाल शर्मा एवं अन्य

निवासी ... पत्रिका कॉम्प्लेक्स, मालवीय नगर एक्सटेंशन

विषय ... निर्णय

ASHOK SHARMA
ADVOCATE
220, Gautam Kalony
Tonk Road, Jaipur

वाद संख्या ... 4-9-2006 दायर किया:

श्री ... बजे से ... के मध्य में

श्री मुरारी लाल ... श्री लाल

वादी ... प्रतिवादी ...

वकील ... पंजीयन हेतु कार्यालय समय में प्रस्तुत किया।

उप पंजीयक, कोटखावदा

वादी के हस्ताक्षर

नि मृदा

8840.
प्रमाणपत्र फीस रु० 200
प्रतिलिपि फीस रु० 10
फुटकर फीस रु० 10
अस्वादगी फीस रु० 57360
कुल योग रु० 66420
रसीद नं० 56/8 दिनांक 4/9/2006 ई. को

वादी प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

233

जो कि ग्राम रामपुरा बुजुर्ग पटवार हल्का बड़ली अन्तर्गत तहसील चाकसू जिला जयपुर क्षेत्र में कृषि भूमि खसरा नम्बर 856 रकबा 2.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 857 रकबा 1.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 859 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 860 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 861 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 862 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 871 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 872 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 874 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा 876 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 877 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 878 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 879 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 10.06 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में हिस्सा 34/1006 की खातेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसका प्रथमपक्ष विक्रेता बिना किसी अन्य के सीर व साझे के एकमात्र काबिज मालिक स्वामी है। (जिसे आगे चलकर उक्त भूमि कहा गया है) जिसको प्रथमपक्ष ने आज से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के हक में रहन, बैय (विक्रय) बख्शीश इत्यादि नहीं किया है। उक्त भूमि सभी प्रकार के राजकीय एवं जन साधारण के भारों बंधनों, झगड़ों आदि से मुक्त व साफ है। इस प्रकार प्रथमपक्ष उक्त भूमि को हर प्रकार से विक्रय हस्तान्तरित आदि करने को पूर्णतया स्वतन्त्र है।

जो कि प्रथमपक्ष विक्रेता को इस समय पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए रूपयों की आवश्यकता है, इसलिए प्रथमपक्ष विक्रेता अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 10.06 हैक्टेयर में हिस्सा 34/1006 को निम्नानुसार सम्पूर्ण विक्रय करना चाहता है, और द्वितीयपक्ष क्रय करने का इच्छुक है। इस प्रकार यह विक्रय एवं क्रय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से स्वीकार है ओर कोई इस विक्रय में बाधा या आक्षेप का कारण नहीं है।

अत : यह विक्रय पत्र निम्न शर्तों का साक्षी है :-

जो कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त कृषि भूमि कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 10.06 हैक्टेयर में हिस्सा 34/1006 सम्पूर्ण, स्थित ग्राम रामपुरा बुजुर्ग तहसील चाकसू, जिला जयपुर, को समस्त स्वामित्व, स्वत्वाधिकारों मय खातेदारी हक, हकूक, सहित रूपया 8,84,000/- (रूपये आठ लाख चौरासी हजार रूपये मात्र) के बदले द्वितीयपक्ष क्रेता के हक में विक्रय कर दिया है। प्रतिफल विक्रय की चुकती राशि क्रेता ने जरिये एक किता डी.डी. नं. 685903 यूकों बैंक, मॉडल टाऊन, दिल्ली से जारी है, द्वारा प्रथमपक्ष विक्रेता को अदा कर दी है। जिसको प्राप्त करने की पुष्टि विक्रेता ने इस दस्तावेज विक्रय पत्र में कर दी है।

क्रमश:...3

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

निष्पादक पक्ष (विक्रेता) श्री
मुरा ... मीलाल ...
७० ... काश्त ...
निवासी ... चांकरू ... जयपुर
तथा ... मनीष गुप्ता ... जयपुर ... एडवोकेट
पुत्र श्री जगन्नाथ गुप्ता ... (का)
जाति ... जयपुर ... निवासी ... दिल्ली ... एडवोकेट
तहसील ... दिल्ली ... दिल्ली ... को
हाल ... व अनुकर
निवासी ... तथा प्रतिफल
की राशि ... ... लाख ... हजार ... रुपये
मात्र सर्व ... व देना स्वीकार
किया।

नि० मुरा

उप पंजीयक
जोधपुर (जयपुर)

फाटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
जोधपुर

234

अब विक्रय मूल्य अथवा अन्य कोई राशि क्रेता के जिम्मे बकाया नहीं रही है तथा उक्त सम्पति का कब्जा विक्रेता ने क्रेता को मौके पर सम्भला दिया है और क्रेता को उपरोक्त विक्रयकृत भूमि का अपने समान मालिक बनाकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग हेतु स्वतन्त्र कर दिया है, अब आज के पश्चात विक्रेता का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है ना ही भविष्य मे रहेगा। तथा अब उक्त विक्रयकृत कृषि भूमि के खसराओं एवं खाता संख्या 70 में कोई हिस्सा बकाया प्रथमपक्ष विक्रेता का नहीं रहा है।

जो कि बेची गई भूमि समस्त प्रकार के राजकीय एवं जन साधारण के भारों, बंधनो, झगड़ों आदि से पूर्णतया मुक्त व साफ है तथा इसमें विक्रेता का कोई हक या हिस्सा नहीं रहा है। यदि भविष्य में विक्रेता के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों के त्रुटि पूर्ण होने के कारण उक्त भूमि या इसका कोई अंश क्रेता के कब्जे से निकल जावे तो उसकी क्षतिपूर्ति विक्रेता करना स्वीकार करती है अन्यथा क्रेता को विक्रेता से वसूली का अधिकार होगा।

जो कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में विक्रेता का सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय अथवा किसी न्यायालय इत्यादि के समक्ष कोई वाद या विवाद लम्बित नहीं है।

जो कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार के कोई कर, लगान इत्यादि की राशि बकाया नहीं है, परन्तु फिर भी ऐसी कोई राशि बकाया निकली तो इस विक्रय पत्र की तिथि तक की ऐसी समस्त बकाया राशि की अदायंगी की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता की होगी। उक्त भूमि से सम्बन्धित सभी दस्तावेजात निष्पादक ने इस विक्रय पत्र के निष्पादन के समय क्रेता को सम्भला दिये है।

जो कि उक्त भूमि का नामान्तकरण क्रेता इस विक्रय पत्र के आधार पर अपने हित में करवाने का अधिकारी है। नामान्तकरण या अन्य किसी कार्यवाही में विक्रेता के हस्ताक्षरों, बयानों, गवाही आदि की जरूरत हुई तो विक्रेता, क्रेता को हर संभव सहयोग देने हेतु तत्पर रहेंगा।

उक्त भूमि किसी भी सड़क से लगती हुई नहीं है। मुख्य जयपुर-टोंक रोड़ से करीबन् 1/2 कि.मी. से अधिक दूर, आबादी से 1 कि.मी. दूर है तथा भूमि की किस्म सिंचित है।

विक्रय पत्र की रजिस्ट्री सम्बन्धी व स्टाम्प शुल्क आदि का खर्चा क्रेता द्वारा वहन किया गया है कि जो पहले से क्रेता के जिम्मे तय था।

यह कि विक्रेता को आयकर विभाग से पेन नम्बर आवंटित नहीं है, क्रेता के पेन नं. AAATJ3434D है।

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटपावदा (जयपुर)

2405

क्रमशः...4

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

श्री ... पुत्र ...
आयु ... जाति ... निवासी ...
श्री ... पुत्र ...
आयु ... जाति ... निवासी ...
ने उक्त विक्रेता/रहनकर्ता मेरे।
पहिचान करता को पहचानता है उक्त व्यक्ति उक्त

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

अत : यह विक्रय पत्र विक्रेता ने अपनी निजी इच्छा एवं प्रसन्नता से होस हवास की अवस्था में एक स्टाम्प कीमती 100/- रूपया व तीन पाई पेपर कुल किता चार पर बहक क्रेता लेख्य कर दिया और उक्त विक्रय पत्र की ईबारत को भली प्रकार से पढ़कर, समझकर, सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर निम्न गवाहान् की उपस्थिति में कर दिये कि प्रमाण रहे, आवश्यकता, के समय काम आवे । इति।

गवाहान्:

1. हस्ताक्षर
नाम :
पिता का नाम :
जाति उम्र वर्ष,
निवास स्थान

2.हस्ताक्षर
नाम :
पिता का नाम :
जाति उम्र वर्ष,
निवास स्थान :

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष क्रेता

ड्राफ्टकर्ता :
तीर्थ नारायण कुमावत
नीति पत्र लेखक
तहसील सांगानेर
दर्ज रजि. नं. है।

फोटो प्रति प्रमाणित
उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

यह दस्तावेज 84000 रुपये की मालियत
से 52460 रुपये के ऊपर के पर निष्पादित
माना जावे । इस पर टगर 52360 रुपये
जरिये चालान नं. 56 दिनांक 4/9/2006
जमा किये गए ।

उपपंजीयक कोटखावदा

4-9-2006

941 1503

130

232 से 235

कोटो प्रति प्रमाणित

कोटखावदा

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

प्रति प्रमाणित प्रति संलग्न

आवेदन पत्र क्रमांक एवं दि.	117
दिनांक प्राप्ति आवेदन पत्र	12.10.06
दिनांक तैयारी सकल	19.10.06
दिनांक सकल देने की	19.10.06
स्टाम्प जो लगाये गये	10/-

आवेदक प्रमाणित प्रति निर्धारित शुल्क व डाक व्यय के भुगतान के पश्चात ले जावें।

उप पंजीयक
कोटखावदा (जोधपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

पंजीयन नं. 212 दिनांक 7-1-18

नाम .....

पिता का नाम .....

निवासी .....

धारी .....

dealer

(23)

1084

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

RAJASTHAN

133 से 136

C 236069

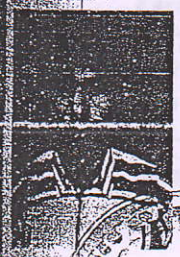

!!श्री!!

: विक्रय – पत्र :

आज दिनॉक 11 अक्टूबर 2006 ईस्वी को इस लेख्य पत्र में मै. सोनू कुमार शर्मा उम्र 23 वर्ष पुत्र श्री सूरजमल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0. 15 करबा चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर जरिये मु0 आम लाला पि0 नारायण जाति खाती निवासी ग्राम रामपुरा बुजुर्ग तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त को विक्रेता प्रथमपक्षकार शब्द से सम्बोधित किया गया है जिसमें इनके समस्त उत्तराधिकारियो, दायभागियो, स्थानापन्नों आदि को सम्मिलित समझा जावें की ओर से बहक केता जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एजूकेशनल सोसायटी पंजीकृत कार्यालय–3, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–5, रोहिणी, दिल्ली–85 जरिये चैयरमेनः श्री मनीष गुप्ता उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व. श्री जगत्राथ गुप्ता , द्वितीयपक्ष को क्रेता द्वितीयपक्षकार शब्द से सम्बोधित किया गया है के मध्य सम्पादित किया गया है।

सोनू 21/11

––2

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

परि. सं. 6165

वर्ष

पिता

जाति

उपखण्ड

12.10.2006

श्री साजु कुमार पुत्र सुरेन्द्र अग्र

जाति निवासी

ग्रामीण पंजायत हेतु कार्यालय समय में प्रस्तुत किया।

ग्राम पंचायत, कोटखावदा

ग्राम प्रस्तुत कर्ता

साजु अग्र

2640.

250.

10

10

1706.

422.

19920.

रु. नं. 3/10 दिनांक 12/10/2006.

उप पंजीयक

कोटखावदा (जयपुर)

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक

कोटखावदा (जयपुर)

जो कि वाके ग्राम रामपुरा बुजुर्ग तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त के अन्तर्गत कृषि भूमि आराजी कृषि भूमि खसरा नं0 856 रकबा 2.05 है0 ,खसरा नं0 857 रकबा 1.31 है0 ,खसरा नं0 858 रकबा 1.20 है0 ,खसरा नं0 859 रकबा 1.07 है0,खसरा नं0 860 रकबा 0.42 है0 खसरा नं0 861 रकबा 0.25 है0,खसरा नं0 862 रकबा 0.24 है0,खसरा नं0 863 रकबा 0.55 है0,खसरा नं0 871 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 872 रकबा 0.14 है0 ,खसरा नं0 873 रकबा 0.17 है0 ,खसरा नं0 874 रकबा 0.17 है0,खसरा नं0 875 रकबा 0.11 है0,खसरा नं0 876 रकबा 0.05 है0,खसरा नं0 877 रकबा 0.21 है0,खसरा नं0 878 रकबा 0.20 है0,खसरा नं0 879 रकबा 0.18 है0,खसरा नं0 880 रकबा 0.23 है0,खसरा नं0 881 रकबा 0.53 है0 खसरा नं0 882 रकबा 0.46 है0,खसरा नं0 883 रकबा 0.27 है0 कुल किता 21 कुल रकबा 10.06 हैक्टयर पक्की संपूर्ण में हिस्सा 11/1006 भाग संपूर्ण की खातेदारी लाला पि0 नारायण जाति खाती निवासी ग्राम रामपुरा बुजुर्ग तहसील चाकसू के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड अंकित व स्थित है,जिसको हर प्रकार से हस्तान्तरित ,विकय आदि करने के लिए मुझे मु0 आम नियुक्त किया है। जिसको नोटेरी पब्लिक श्री कैलाश चन्द शर्मा एडवोकेट ,चाकसू के द्वारा प्रमाणित किया गया ,जो आज दिन तक प्रभावशील है एवं मु0कर्तागण जीवित है। जिस पर मै एक मात्र काबिज ,मालिक व स्वामी हूँ। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि के संबध में समस्त मालिकानां हक हकूक मुझ स्वंय को प्राप्त है तथा उक्त भूमि को आज पूर्व किसी अन्य व्यक्ति ,संस्था ,फर्म आदि के हक मे विक्रय रहन बैय बख्शीश ,बंधक, हस्तान्तरित आदि नही की हुई हैं, यह भूमि आज तक प्रत्येक प्रकार के झगडो टंटो आदि से मुक्त व पाक हैं 1 इस भूमि को हर प्रकार से विक्रय, आदि करने के लिये संपूर्ण अधिकार मुझ विक्रेता स्वंय को प्राप्त है। जिसके लिये मै पूर्णतया स्वतंत्र हूं

अतएव मुझ विक्रेता ने अपनी राजी खुशी होश हवास मे बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या आग्रह के उक्त वर्णित खातेदारी भूमि आराजी कृषि भूमि खसरा नं0 856 रकबा 2.05 है0 ,खसरा नं0 857 रकबा 1.31 है0 ,खसरा नं0 858 रकबा 1.20 है0 ,खसरा नं0 859 रकबा 1.07 है0,खसरा नं0 860 रकबा 0.42 है0,खसरा नं0 861 रकबा 0.25 है0,खसरा नं0 862 रकबा 0.24 है0,खसरा नं0 863 रकबा 0.55 है0,खसरा नं0 871 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 872 रकबा 0.14 है0 ,खसरा नं0 873 रकबा 0.17 है0 ,खसरा नं0 874 रकबा 0.17 है0,खसरा नं0 875 रकबा 0.11 है0,खसरा नं0 876 रकबा 0.05 है0,खसरा नं0 877 रकबा 0.21 है0,खसरा नं0 878 रकबा 0.20 है0,खसरा नं0 879 रकबा 0.18 है0,खसरा नं0 880 रकबा 0.23 है0,खसरा नं0 881 रकबा 0.53 है0,खसरा नं0 882 रकबा 0.46 है0,खसरा नं0 883 रकबा 0.27 है0 कुल किता 21 कुल रकबा 10.06 हैक्टयर पक्की संपूर्ण में हिस्सा 11/1006 भाग संपूर्ण को समस्त मालिकाना , स्वामित्व, स्त्याधिकारो सहित मय बोल, सोल, पानी, पुला, मेर, कोर, डोल, वृक्षादि सहित मुवलिग रूपया 2,64,000/– अक्षरे दो लाख चौषठ हजार रूपया मात्र में बहक केता जगत्राथ गुप्ता मेमोरियल एजूकेशनल सोसायटी पंजीकृत कार्यालय–3, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–5, रोहिणी, दिल्ली–85 जरिये चैयरमेनः श्री मनीष गुप्ता उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व. श्री जगत्राथ गुप्ता ,द्वितीयपक्ष के हक मे विकय कर दिया है, अर्थात बैच दिया है तथा

––3

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक

कोटखावदा (जयपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

सोहन अली
सुरजमल अली
वाहन्या
काश्त
मनीराम जगन्नाथ
महावत
व्यापार
दिल्ली
दिल्ली
को
24000/-
दो लाख चौबीस हजार
लत लेना व देना स्वीकार
भाज
किया।

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

कोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

(25)

//3// 135

प्रतिफल विक्रय की उक्त संपूर्ण धनराशि चुकती जरियें डीडी नं0 686003 राशि 2,64,000/–रूपया दिनांक 23–9–06 ईस्वी को यूकों बैंक मोडल टाउॅन ,नई दिल्ली का मुझ विकेता ने उक्त केता से प्राप्त करली है , कुछ भी राशि लेनी शेष नही रही है तथा उक्त वर्णित विक्रय की गई भूमि संपूर्ण का कब्जा मौके पर वास्तविक रूप से क्रेता को करवा दिया है अर्थात संभला दिया है , अब क्रेता जिस प्रकार चाहे इसका उपयोग व उपभोग कर लाभान्वित होवें। इस संबंध मे मेरा व मेरे अन्य उत्तराधिकारियो आदि का किसी प्रकार का विरोध या एतराज मान्य नही है एवं ना ही भविष्य मे होगा।

यह कि उक्त वर्णित विक्रय की गई भूमि संपूर्ण आज पूर्व के समस्त सरकारी अर्द्व सरकारी , जन साधारण के ऋणों भारो बंधनो जमानतो आदि से पूर्णतया मुक्त व पाक है तथा हर प्रकार के झगडो टंटो आदि से शुद्व एवं पवित्र है । इसमे मुझ विक्रेता के अलावा अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नही है , अगर भविष्य मे कोई साझी व हिस्सेदार उत्पन्न होकर किसी प्रकार का दावा अथवा विवाद पैदा करेगा तो उसका संपूर्ण निपटारा मुझ विक्रेता खातेदार स्वंय के धन व श्रम से किया जावेगा । इस संबंध मे मेरा व मेरे अन्य उत्तराधिकारियो आदि का किसी प्रकार का विरोध या एतराज मान्य नही होगा।

यह कि उक्त वणित विक्रय की गई भूमि संपूर्ण का नामान्तकरण मुझ विक्रेता के द्वारा उक्त क्रेता के हक मे नियमानुसार राजस्व विभाग से खुलवा दिया जावेगा अन्यथा क्रेता स्वंय इस लेख्य पत्र के आधार पर अपने नाम नामान्तकरण खुलवॉ लेवें तथा इस पर काबिज होकर हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर लाभान्वित होवें । इसका निर्धारित राजस्व शुल्क अपने नाम से जमा करावें ।

यह कि उक्त वर्णित विक्रय की गई भूमि संपूर्ण बारानी ,बजंड, कृषि उपयेाग की है तथा उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण आदि किया हुआ नही है, जो आबादी से करीबन 1,1/2 कि.मी. व राष्ट्रीय राजमार्ग/लिंक रोड से 1,1/2 कि.मी. एवं चाकसू से 6 कि.मी. दूर स्थित है तथा इसकी मालियत जरे विक्रय पत्र कीमती से अधिक नही है तथा विक्रय पत्र के निष्पादित संबंधी समस्त व्यय भार केता स्वंय ने अपने पास से वहन किया है।

यह कि उक्त विक्रय पत्र की फोटो प्रति अपठित व अस्पष्ट होने पर इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता व क्रेता स्वंय की होगी ।

—4

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजियक
कोटखावदा (जयपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

श्री रामधन सैनी पुत्र जगदीश
आयु 38 जाति आसी निवासी कोटखावदा 15 का
श्री विजय सिंह पुत्र एकलव्य सिंह
आयु 30 जाति राजपूत निवासी/कास्तकार
ए 67 कीर्ति ने उक्त विक्रेता/रहनकर्ता भेंगा
नगर जयपुर
शपथित कर्ता को पहचान कर सामने खड़ा की

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

(26)

//4// 136

अतएव यह विकय पत्र मुझ विकेता ने अपनी राजी खुशी होश हवास मे बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या आग्रह के एक मुद्रांक कीमती 100/– रूपया व तीन पेपर पर ब ह क क्रेता के हक मे लेख्य कर दिया सो सही है तथा इसको पढकर,सुनकर समझकर सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर/ निशानी निम्न गवाहान के समक्ष कर दिये सो प्रमाण रहे तथा आवश्यकता के समय काम आवें 1 इति लेख्य दिनांक 11 अक्टूबर 2006

हस्ताक्षर विक्रेता

गवाह –1 श्री ..... उम्र ..... वर्ष पुत्र श्री .....
जाति ..... निवासी .....

गवाह–2 श्री ..... उम्र ..... वर्ष पुत्र श्री .....
जाति ..... निवासी .....

प्रारूपकर्ता:–

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

यह दस्तावेज 264000 रुपये की बाबियत से 17160 रुपये के स्टाम्प पर निष्पादित होना चाहे। कमी मुताबिक 17060 रुपये जरिये रसीद नं. 9/10 दिनांक 12/10/2006 जमा किये गए।

उपखण्ड अधिकारी, कोटखावदा

RAJASTH

रकार

OTARY

कृषि भूमि
858 रक
नं0 861
खसरा
है0, खस
0.05 है
रकबा, 0.
882 रक
पक्की
रिश्त है
रु. ..रि
पूर्णतया

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

आवेदन पत्र कब रजि. ग.	V3
दिनांक प्रविष्टि आवेदन पत्र	6.9.16
दिनांक तैयारी सनद	16.9.16
दिनांक सनद देने की	16.9.16
स्टाम्प जो लगाये गये	1.0/-

मेरी उपस्थिति में श्री/श्रीमती ने
मुद्रित किताब 6.9.2016 को
यह मेरा हस्ताक्षर मुद्रित कॉपीराईट
का प्रमाणपत्र है।

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

रजिस्टर नं. 22 विषय 2475

नाम [illegible]

पिता का नाम [illegible]

निवासी [illegible]

वारसे [illegible]

रमेश कुमार सिंघी
स्वतन्त्र विक्रेता
अ. न 33125
वार्ड नं 9 बालोतरा (राज.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

3 355392

॥ विक्रय पत्र ॥

यह विक्रय पत्र आज दिनांक : 26 अगस्त 2006 ईस्वी को श्री नाथूलाल उम्र 35 वर्ष, श्री छीतरलाल उम्र 22 वर्ष पुत्रान् श्री शंकरलाल जाति माली निवासी ग्राम रामपुरा बुजुर्ग, तहसील चाकसू जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त, प्रथमपक्ष (जिन्हें आगे चलकर इस लेख पत्र में विक्रेतागण कहा गया है) तथा जिसमें विक्रेतागण के समस्त दायभागी, स्थानापन्न, उत्तराधिकारी आदि सम्मिलित है और समझे जावेंगे के द्वारा जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एजूकेशनल सोसायटी पंजीकृत कार्यालय : 3, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-85 जरिये चैयरमेन: श्री मनीष गुप्ता उम्र .. वर्ष पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ गुप्ता, द्वितीयपक्ष (जिसे इस लेख पत्र में आगे चलकर क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है) तथा जिसमें सोसायटी के उत्तराधिकारीगण, निष्पादकगण, प्रशासकगण, विधिक प्रतिनिधिगण शामिल है, के हित में निष्पादित किया गया है।

क्रमश:.....2

गीता माली

नाथूलाल माली

फोटो प्रति प्रमाणित

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

बही सं. 2033, 26/8/06

नाम ज्ञानचन्द पुत्र मोतिराम एवं श्रीमती लीलावती

पुत्र व पुत्री [illegible]

निवास [illegible]

विषय [illegible]

अधीक्षक अमीन

[illegible]

6-9-2006.

आज दिनांक ..... माह ..... सन् 06.

को 2PM बजे से ..... बजे के मध्य ।

श्री नाथूलाल पुत्र कालूराम माली

जाति माली निवासी रामपुरा गुर्जर

दस्तावेज पंजीयन हेतु कार्यालय समय से वस्तु

लिखा ।

उप पंजीयक, कोटखावदा

दस्तावेज कर्ता

नाथूलाल माली

प्रतिलिपि फीस रु०	10720.
एफीडेविट फीस रु०	200.
एक्जीक्यूशन फीस रु०	10
फोटोग्राफी फीस रु०	10
कुल प्रतिलिपि फीस रु०	695 80.
कुल फीस रु०	80520.

रु. नं० 42 8. दिनांक 6/9/2006. को जमा की गई

कोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

3

जो कि ग्राम रामपुरा बुजुर्ग पटवार हल्का बड़ली अन्तर्गत तहसील चाकसू जिला जयपुर क्षेत्र में कृषि भूमि खसरा नम्बर 856 रकबा 2.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 857 रकबा 1.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 859 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 860 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 861 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 862 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 871 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 872 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 874 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा 876 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 877 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 878 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 879 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 10.06 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में हिस्सा 67/1006 की खातेदारी प्रथमपक्ष विक्रेतागण के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसका प्रथमपक्ष विक्रेतागण बिना किसी अन्य के सीर व साझे के एकमात्र काबिज मालिक स्वामी है। (जिसे आगे चलकर उक्त भूमि कहा गया है) जिसको प्रथमपक्ष ने आज से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के हक में रहन, बैय (विक्रय) बख्शीश इत्यादि नहीं किया है। उक्त भूमि सभी प्रकार के राजकीय एवं जन साधारण के भारों बंधनों, झगड़ों आदि से मुक्त व साफ है। इस प्रकार प्रथमपक्ष उक्त भूमि को हर प्रकार से विक्रय हस्तान्तरित आदि करने को पूर्णतया स्वतन्त्र है।

जो कि प्रथमपक्ष विक्रेतागण को इस समय पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए रूपयों की आवश्यकता है, इसलिए प्रथमपक्ष विक्रेतागण अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 10.06 हैक्टेयर में हिस्सा 67/1006 को निम्नानुसार सम्पूर्ण विक्रय करना चाहते है, और द्वितीयपक्ष क्रय करने का इच्छुक हैं। इस प्रकार यह विक्रय एवं क्रय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से स्वीकार है ओर कोई इस विक्रय में बाधा या आक्षेप का कारण नहीं है।

अत : यह विक्रय पत्र निम्न शर्तों का साक्षी है :-

जो कि प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने उक्त कृषि भूमि कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 10.06 हैक्टेयर में हिस्सा 67/1006 सम्पूर्ण, स्थित ग्राम रामपुरा बुजुर्ग तहसील चाकसू, जिला जयपुर, को समस्त स्वामित्व, स्वत्वाधिकारों मय खातेदारी हक, हकूक, सहित रूपया 10,72,000/- (रूपये दस लाख बहत्तर हजार रूपये मात्र) के बदले द्वितीयपक्ष क्रेता के हक में विक्रय कर दिया है। जिनको प्राप्त करने की पुष्टि विक्रेतागण ने इस दस्तावेज विक्रय पत्र में कर दी है।

क्रमश:...3

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

जीयक
(जयपुर)

इस मजमून विक्रय पत्र को प्रथम पक्ष (विक्रेता) श्री नाथू लाल
... चौहर लाल पुत्र श्री अमर लाल
आयु (लगभग) 35/22 ... माली ... माल
निवासी रामपुरा बुझुर्ग ... नागरू जि.—जयपुर
तथा ... मनीष गुप्ता ... चीमरसेन जगन्नाथ गुप्ता
पुत्र ... जगन्नाथ गुप्ता ... (व्य.) ... दिल्ली ... एफ 2 अनल मैं सीरिल सोक कालिंदी 3 इन्स्टीट्यूशनल एरिया सैक्टर 5 द्वारिका दिल्ली
का ... महाजन ... श्री ... जयपुर निवासी
तहसील ... दिल्ली ... दिल्ली ... को
हाजिर पढ़ ... समझकर
निम्नांकित ... विक्रीत
की राशि 1,07,2000 ... दस लाख सात हजार
मात्र समक्ष ... स्वीकार
किया।

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

नाथू लाल माली

हीरा माली

फोटो बही प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

अब विक्रय मूल्य अथवा अन्य कोई राशि क्रेता के जिम्मे बकाया नहीं रही है तथा उक्त सम्पति का कब्जा विक्रेतागण ने क्रेता को मौके पर सम्भला दिया है और क्रेता को उपरोक्त विक्रयकृत भूमि का अपने समान मालिक बनाकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग हेतु स्वतन्त्र कर दिया है, अब आज के पश्चात विक्रेतागण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है ना ही भविष्य मे रहेगा। तथा अब उक्त विक्रयकृत कृषि भूमि के खसराओं एवं खाता संख्या 70 में कोई हिस्सा बकाया प्रथमपक्ष विक्रेतागण का नहीं रहा है।

जो कि बेची गई भूमि समस्त प्रकार के राजकीय एवं जन साधारण के भारों, बंधनो, झगड़ों आदि से पूर्णतया मुक्त व साफ है तथा इसमें विक्रेतागण का कोई हक या हिस्सा नहीं रहा है। यदि भविष्य में विक्रेतागण के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों के त्रुटि पूर्ण होने के कारण उक्त भूमि या इसका कोई अंश क्रेता के कब्जे से निकल जावे तो उसकी क्षतिपूर्ति विक्रेतागण करना स्वीकार करते है अन्यथा क्रेता को विक्रेतागण से वसूली का अधिकार होगा।

जो कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में विक्रेतागण का सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय अथवा किसी न्यायालय इत्यादि के समक्ष कोई वाद या विवाद लम्बित नहीं है।

जो कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार के कोई कर, लगान इत्यादि की राशि बकाया नहीं है, परन्तु फिर भी ऐसी कोई राशि बकाया निकली तो इस विक्रय पत्र की तिथि तक की ऐसी समस्त बकाया राशि की अदायगी की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेतागण की होगी। उक्त भूमि से सम्बन्धित सभी दस्तावेजात निष्पादक ने इस विक्रय पत्र के निष्पादन के समय क्रेता को सम्भला दिये है।

जो कि उक्त भूमि का नामान्तकरण क्रेता इस विक्रय पत्र के आधार पर अपने हित में करवाने का अधिकारी है। नामान्तकरण या अन्य किसी कार्यवाही में विक्रेतागण के हस्ताक्षरों, बयानों, गवाही आदि की जरूरत हुई तो विक्रेतागण, क्रेता को हर संभव सहयोग देने हेतु तत्पर रहेंगे।

उक्त भूमि किसी भी सड़क से लगती हुई नहीं है। मुख्य जयपुर-टोंक रोड़ से करीबन् 1/2 कि.मी. से अधिक दूर, आबादी से 1 कि.मी. दूर है तथा भूमि की किस्म सिंचित है।

विक्रय पत्र की रजिस्ट्री सम्बन्धी व स्टाम्प शुल्क आदि का खर्चा क्रेता द्वारा वहन किया गया है कि जो पहले से क्रेता के जिम्मे तय था।

यह कि विक्रेतागण को आयकर विभाग से पेन नम्बर आवंटित नहीं है, क्रेता के पेन नं. AAATJ3434D है।

क्रमश:...4

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

प्रमाणित
पंजीयक
कोटपावटी (जयपुर)

अंत : यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने अपनी निजी इच्छा एवं प्रसन्नता से होस हवास की अवस्था में एक स्टाम्प कीमती 100/-- रूपया व तीन पाई पेपर कुल किता चार पर बहक क्रेता लेख्य कर दिया और उक्त विक्रय पत्र की ईबारत को भली प्रकार से पढ़कर, समझकर, सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर निम्न गवाहान् की उपस्थिति में कर दिये कि प्रमाण रहे, आवश्यकता के समय काम आवे । इति।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेतागण

गवाहान्:

1. हस्ताक्षर
नाम :
पिता का नाम :
जाति उम्र वर्ष,
निवास स्थान :

2.हस्ताक्षर
नाम :
पिता का नाम :
जाति उम्र वर्ष,
निवास स्थान :

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष क्रेता

ड्राफ्टकर्ता :
तीर्थ नारायण कुमावत
नीति पत्र लेखक
तहसील सांगानेर
दर्ज रजि. नं. है।

दोहो प्रति प्रकाशित

पंजियक
(जयपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

यहाँ दस्तावेज 1072000 रुपये को मालियत
से... 69680 रुपये के मुद्रांक पर निष्पादित
माना जावे । कमी मुद्रांक 69580 रुपये
जरिये रसीद नं 72/8 दिनांक 6/9/2006
जमा किये गए ।

उपखण्ड अधिकारी, कोटखावदा

जस्थान R

6-9-2006

...42.

...1... खिलद नं. 765

...पृष्ठ संख्या

...131... पृष्ठ संख्या

245

उपखण्ड (जयपुर)

फोटो प्रति प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
कोटखावदा (जयपुर)

भवन पत्र एवं रजि. नं. ५५५

दिनांक ०१.५.१८

१०.५.१८

१०.५.१८

१०/-

आज दिनांक प्रकाशित पुराने पट्टे पत्र संख्या ७५२ दि. ०१.९.०६ अधिवास पत्रक प्रमाणपत्र सुधार नोटिफिकेशन का समर्पण है।

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

रजिस्टर नं. 22 2 4 19

नाम .....

पिता का नाम .....

निवासी .....

वास्ते .....

रमेश कुमार सिंघी
स्टाम्प विक्रेता
ला. नं. 3/
वार्ड नं. 9 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक 942

एक सौ रुपये

रु. 100

सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

RAJASTHAN

B 355398

236से 239

विक्रय पत्र ।

यह विक्रय पत्र आज दिनांक : 26 अगस्त 2006 ईस्वी को श्री जीवन उम्र 71 वर्ष पुत्र श्री सुन्दर जाति माली निवासी ग्राम रामपुरा बुजुर्ग, तहसील चाकसू जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त, प्रथमपक्ष (जिसे नाम चलकर इस लेख पत्र में विक्रेता कहा गया है) तथा जिसमें विक्रेता के समस्त दायभागी, स्थानापन्न, उत्तराधिकारी आदि सम्मिलित है और समझे जावेंगे के द्वारा जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एजूकेशनल सोसायटी पंजीकृत कार्यालय : 3, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-85 जरिये चैयरमेन: श्री मनीष गुप्ता उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ गुप्ता, द्वितीयपक्ष (जिसे इस लेख पत्र में आगे चलकर क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है) तथा जिसमें सोसायटी के उत्तराधिकारीगण, निष्पादकगण, प्रशासकगण, विधिक प्रतिनिधिगण शामिल है, के हित में निष्पादित किया गया है।

क्रमश:.....2

नि. अधि.

द्वितीय प्रति प्रमाणित

उप विजय

कोटखावदा (जयपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

जयप
नम्ब
एकब
हैक्टे
खस
873
0.11
खस
880
0.46
10.0
प्रथम
अन्य
कहा
(विक्र
के भा
से वि

की अ
किता
करना
पक्षों
है।

10.0
जिला
8,84
हक मे
नं. ..6
कर दी

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

जो कि ग्राम रामपुरा बुजुर्ग पटवार हल्का बड़ली अन्तर्गत तहसील चाकसू जिला जयपुर क्षेत्र में कृषि भूमि खाता संख्या-70 में खसरा नम्बर 856 रकबा 2.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 857 रकबा 1.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 859 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 860 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 861 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 862 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 871 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 872 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 874 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा 876 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 877 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 878 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 879 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 10.06 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में हिस्सा 67/2012 की खातेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसका प्रथमपक्ष विक्रेता बिना किसी अन्य के सीर व साझे के एकमात्र काबिज मालिक स्वामी है। (जिसे आगे चलकर उक्त भूमि कहा गया है) जिसको प्रथमपक्ष ने आज से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के हक में रहन, बेय (विक्रय) बख्शीश इत्यादि नहीं किया है। उक्त भूमि सभी प्रकार के राजकीय एवं जन साधारण के भारों बंधनों, झगड़ों आदि से मुक्त व साफ है। इस प्रकार प्रथमपक्ष उक्त भूमि को हर प्रकार से विक्रय हस्तान्तरित आदि करने को पूर्णतया स्वतन्त्र है।

जो कि प्रथमपक्ष विक्रेता को इस समय पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए रूपयों की आवश्यकता है, इसलिए प्रथमपक्ष विक्रेता अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 10.06 हैक्टेयर में हिस्सा 67/2012 को निम्नानुसार सेम्पूर्ण विक्रय करना चाहता है, और द्वितीयपक्ष क्रय करने का इच्छुक है। इस प्रकार यह विक्रय एवं क्रय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से स्वीकार है ओर कोई इस विक्रय में बाधा या आक्षेप का कारण नहीं है।

अत : यह विक्रय पत्र निम्न शर्तों का साक्षी है :-

जो कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त कृषि भूमि कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 10.06 हैक्टेयर में हिस्सा 67/2012 सम्पूर्ण स्थित ग्राम रामपुरा बुजुर्ग तहसील चाकसू, जिला जयपुर, को समस्त स्वामित्व, स्वत्वाधिकारों मय खातेदारी हक, हकूक, सहित रूपया 8,84,000/- (रूपये आठ लाख चौरासी हजार रूपये मात्र) के बदले द्वितीयपक्ष क्रेता के हक में विक्रय कर दिया है। प्रतिफल विक्रय की चुकती राशि क्रेता ने जरिये एक किता डी.डी. नं. 685904 यूकों बैंक, मॉडल टाऊन, दिल्ली से जारी है, द्वारा प्रथमपक्ष विक्रेता को अदा कर दी है। जिसको प्राप्त करने की पुष्टि विक्रेता ने इस दस्तावेज विक्रय पत्र में कर दी है।

क्रमश:...3

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

इस मालकीय विक्रय पत्र को प्रथम पक्ष (विक्रेता) श्री
... जीवन ... पुत्र श्री ... बुद्धू दर ...
जाति (जाट) नि... माली ... व्यवसाय ... काश्त ...
निवासी ... उदी ... उपखण्ड ...
तथा द्वितीय पक्ष ... मनीष शुक्ला ... जाति ब्राह्मण ...
पुत्र श्री ... शुक्ला ... जाति (ब्राह्मण) दिल्ली ... व्यवसाय ...
जाति ब्राह्मण ... काश्त ... निवासी ... दिल्ली ...
तहसील ... दिल्ली ... दिल्ली ... को
हमने बाद ... समझकर
... तथा प्रतिफल
की राशि ... नकद ... बैंकर्स के ... लिखे चेक संख्या ...
मात्र रु. ... की ... पेशगी स्वीकार
किया।

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

नि० जीवन

काटो मोरि बनाइये

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

स भू अं त प्र ह य क वि ने ऐं से स क ब्र रहें

1/

गर

A/

अब विक्रय मूल्य अथवा अन्य कोई राशि क्रेता के जिम्मे बकाया नहीं रही है तथा उक्त सम्पति का कब्जा विक्रेता ने क्रेता को मौके पर सम्भला दिया है और क्रेता को उपरोक्त विक्रयकृत भूमि का अपने समान मालिक बनाकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग हेतु स्वतन्त्र कर दिया है, अब आज के पश्चात विक्रेता का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है ना ही भविष्य मे रहेगा। तथा अब उक्त विक्रयकृत कृषि भूमि के खसराओं एवं खाता संख्या 70 में कोई हिस्सा बकाया प्रथमपक्ष विक्रेता का नहीं रहा है।

जो कि बेची गई भूमि समस्त प्रकार के राजकीय एवं जन साधारण के भारों, बंधनो, झगड़ों आदि से पूर्णतया मुक्त व साफ है तथा इसमें विक्रेता का कोई हक या हिस्सा नहीं रहा है। यदि भविष्य में विक्रेता के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों के त्रुटि पूर्ण होने के कारण उक्त भूमि या इसका कोई अंश क्रेता के कब्जे से निकल जावे तो उसकी क्षतिपूर्ति विक्रेता करना स्वीकार करता है अन्यथा क्रेता को विक्रेता से वसूली का अधिकार होगा।

जो कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में विक्रेता का सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय अथवा किसी न्यायालय इत्यादि के समक्ष कोई वाद या विवाद लम्बित नहीं है।

जो कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार के कोई कर, लगान इत्यादि की राशि बकाया नहीं है, परन्तु फिर भी ऐसी कोई राशि बकाया निकली तो इस विक्रय पत्र की तिथि तक की ऐसी समस्त बकाया राशि की अदायगी की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता की होगी। उक्त भूमि से सम्बन्धित सभी दस्तावेजात निष्पादक ने इस विक्रय पत्र के निष्पादन के समय क्रेता को सम्भला दिये है।

जो कि उक्त भूमि का नामान्तकरण क्रेता इस विक्रय पत्र के आधार पर अपने हित में करवाने का अधिकारी है। नामान्तकरण या अन्य किसी कार्यवाही में विक्रेता के हस्ताक्षरों, बयानों, गवाही आदि की जरूरत हुई तो विक्रेता, क्रेता को हर संभव सहयोग देने हेतु तत्पर रहेंगा।

उक्त भूमि किसी भी सड़क से लगती हुई नहीं है। मुख्य जयपुर-टोंक रोड़ से करीबन् 1/2 कि.मी. से अधिक दूर, आबादी से 1 कि.मी. दूर है तथा भूमि की किस्म सिंचित है।

विक्रय पत्र की रजिस्ट्री सम्बन्धी व स्टाम्प शुल्क आदि का खर्चा क्रेता द्वारा वहन किया गया है कि जो पहले से क्रेता के जिम्मे तय था।

यह कि विक्रेता को आयकर विभाग से पेन नम्बर आवंटित नहीं है, क्रेता के पेन नं. AAATJ3434D है।

दोनों प्रति प्रमाणित

क्रमशः...4

उप पंजियक
कोटपूतली (जयपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

श्री मंगलराम पुत्र रामधीराज

जाति जाटनी निवासी पाडला

श्री रामधीलाल जाटनी

उक्त विक्रेता/रहनकर्ता मेरी

पहचान कर रही है।

उप पंजीयक
ओटसादडा (जयपुर)

फोटो प्रति सत्यापित

उप पंजीयक
ओटसादडा (जयपुर)

अवस
लेख्य
स्वीक
के स

गवाहा
1. हस
नाम :
पिता
जाति
निवास

2.हस्त
नाम :
पिता
जाति
निवास

ड्राफ्टद
ती

दज

239

अत : यह विक्रय पत्र विक्रेता ने अपनी निजी इच्छा एवं प्रसन्नता से होस हवास की अवस्था में एक स्टाम्प कीमती 100/- रूपया व तीन पाई पेपर कुल किता चार पर बहक क्रेता लेख्य कर दिया और उक्त विक्रय पत्र की ईबारत को भली प्रकार से पढ़कर, समझकर, सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर निम्न गवाहान् की उपस्थिति में कर दिये कि प्रमाण रहे, आवश्यकता के समय काम आवे । इति।

वि. जीवराम

गवाहान्:

1. हस्ताक्षर भंवरलाल

नाम : भंवरलाल S/o रामजीवण जी

पिता का नाम :

जाति उम्र वर्ष,

निवास स्थान : कोटरावतां गांव सांगानेर

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता

2. हस्ताक्षर

नाम : [illegible]

पिता का नाम : नारायण शर्मा

जाति उम्र वर्ष,

निवास स्थान : सांगानेर

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष क्रेता

ड्राफ्टकर्ता :

तीर्थ नारायण कुमावत

नीति पत्र लेखक

तहसील सांगानेर

दर्ज रजि. नं. 721 है।

[illegible] (जयपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

यह दस्तावेज 84000/- रुपये की प्रॉलियल से 5746०रुपये के मुद्रांक पर लिखा जाना था। जो मुद्रांक 57360/- रुपए जारी किए गए 52 दिनांक 4/9/2006 जमा किए गए।

उपखंड अधिकारी, कोटखावदा

4-9-2006

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. नं. 41
दिनांक प्राप्ति प्रार्थना पत्र 01.04.17
दिनांक तैयारी नकल 10.04.17
दिनांक नकल देने की 10.04.17
स्टाम्प जो लगाये गये 10/-

उक्त प्रतीक्षा फीस नहीं ली
दिनांक 01.04.2016 होना है
अतः नकल हेतु मेमोरेण्डम प्रस्तुत है

उप सचिवीय
कोटखावदा (जयपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

रमेश कुमार सिंधी
स्टाम्प विक्रेता
ला. नं 33192
वार्ड नं 9 चाकसू (जयपुर)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

RAJASTHAN

B 355396

मनीष गुप्ता

॥ विक्रय पत्र ॥

यह विक्रय पत्र आज दिनांक : 26 अगस्त 2006 ईस्वी को श्री हीरा उम्र 37 वर्ष पुत्र श्री बालु जाति माली, निवासी ग्राम रामपुरा बुजुर्ग, तहसील चाकसू जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त, प्रथमपक्ष (जिसे आगे चलकर इस लेख पत्र में विक्रेता कहा गया है) तथा जिसमें विक्रेता के समस्त दायभागी, स्थानापन्न, उत्तराधिकारी आदि सम्मिलित हैं और समझे जावेंगे के द्वारा जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एजूकेशनल सोसायटी पंजीकृत कार्यालय : 3, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-85 जरिये चैयरमेन: श्री मनीष गुप्ता उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ गुप्ता, द्वितीयपक्ष (जिसे इस लेख पत्र में आगे चलकर क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है) तथा जिसमें सोसायटी के उत्तराधिकारीगण, निष्पादकगण, प्रशासकगण, विधिक प्रतिनिधिगण शामिल है, के हित में निष्पादित किया गया है।

क्रमश:.....2

हीरालाल

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

कोटपूतली (जयपुर)

वसीका नं. 2037 दि. 26/8/06

नाम जगदम्बा पुरोहित कॉन्ट्रेक्टर एण्ड इंजीनियर्स

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

रुपया ₹ 5000

100

अशोक शर्मा

ला. [illegible]

तहसील [illegible]

220, [illegible]

टोंक रोड, जयपुर

4-9-2006

समय 2.30 PM बजे

श्री हीरालाल पुत्र जालू

जाति माली निवासी [illegible]

दस्तावेज पंजीयन हेतु कार्यालय समय से उपस्थित

किया।

उप पंजीयक, कोटखावदा

हीरालाल

वसीका फीस रु०	10720.
फोटोकॉपी फीस रु०	200.
स्टाम्प फीस रु०	10
रजिस्ट्रेशन फीस रु०	10
अन्य फीस रु०	6958.
कुल फीस रु०	18020.

रसीद नं० 58/8 दिनांक 4/9/2006 को जमा किया।

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक

कोटखावदा (जयपुर)

उप पंजीयक

कोटखावदा (जयपुर)

241

जो कि ग्राम रामपुरा बुजुर्ग पटवार हल्का बड़ली अन्तर्गत तहसील चाकसू जिला जयपुर क्षेत्र में कृषि भूमि खसरा नम्बर 856 रकबा 2.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 857 रकबा 1.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 859 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 860 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 861 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 862 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 871 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 872 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 874 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा 876 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 877 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 878 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 879 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 10.06 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में हिस्सा 67/1006 की खातेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसका प्रथमपक्ष विक्रेता बिना किसी अन्य के सीर व साझे के एकमात्र काबिज मालिक स्वामी है। (जिसे आगे चलकर उक्त भूमि कहा गया है) जिसको प्रथमपक्ष ने आज से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के हक में रहन, बैय (विक्रय) बख्शीश इत्यादि नहीं किया है। उक्त भूमि सभी प्रकार के राजकीय एवं जन साधारण के भारों बंधनों, झगड़ों आदि से मुक्त व साफ है। इस प्रकार प्रथमपक्ष उक्त भूमि को हर प्रकार से विक्रय हस्तान्तरित आदि करने को पूर्णतया स्वतन्त्र है।

जो कि प्रथमपक्ष विक्रेता को इस समय पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए रूपयों की आवश्यकता है, इसलिए प्रथमपक्ष विक्रेता अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 10.06 हैक्टेयर में हिस्सा 67/1006 को निम्नानुसार सम्पूर्ण विक्रय करना चाहता है, और द्वितीयपक्ष क्रय करने का इच्छुक है। इस प्रकार यह विक्रय एवं क्रय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से स्वीकार है और कोई इस विक्रय में बाधा या आक्षेप का कारण नहीं है।

अत : यह विक्रय पत्र निम्न शर्तों का साक्षी है :-

जो कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त कृषि भूमि कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 10.06 हैक्टेयर में हिस्सा 67/1006 सम्पूर्ण, स्थित ग्राम रामपुरा बुजुर्ग तहसील चाकसू, जिला जयपुर, को समस्त स्वामित्व, स्वत्वाधिकारों मय खातेदारी हक, हकूक, सहित रूपया 10,72,000/- (रूपये दस लाख बहत्तर हजार रूपये मात्र) के बदले द्वितीयपक्ष क्रेता के हक में विक्रय कर दिया है। जिनको प्राप्त करने की पुष्टि विक्रेता ने इस दस्तावेज विक्रय पत्र में कर दी है।

क्रमश:...3

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

इस मजमून विक्रय पत्र को प्रथम पक्ष (विक्रेता) श्री
... ... हीरा पुत्र श्री आदु ... ...
आयु (लगभग) 39 ... निवासी ... साहित
निवासी 2 ... जि-जयपुर
तथा ... मनीष गुप्ता ... जक्खोदा गुप्ता एक्सीमनल
व जक्खोदा गुप्ता ... द्वारा (श्री) ... दिल्ली
... महाकुंज ... व्यापार ... निवासी
... दिल्ली ... दिल्ली ... को
हर्फ ब हर्फ पढ़कर सुनाया ... व समझकर
... करना स्वीकार ... तथा प्रतिफल
की राशि 1,87,000 ... दस लाख-सत्तर हजार
... समक्ष ... अदालत ... स्वीकार
किया।

प्रेमाधिक सोसायटी मर्यादित
इन्स्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर
रोहिणी दिल्ली ८५

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

हीरालाल

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

242

अब विक्रय मूल्य अथवा अन्य कोई राशि क्रेता के जिम्मे बकाया नहीं रही है तथा उक्त सम्पति का कब्जा विक्रेता ने क्रेता को मौके पर सम्भला दिया है और क्रेता को उपरोक्त विक्रयकृत भूमि का अपने समान मालिक बनाकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग हेतु स्वतन्त्र कर दिया है, अब आज के पश्चात विक्रेता का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है ना ही भविष्य मे रहेगा। तथा अब उक्त विक्रयकृत कृषि भूमि के खसराओं एवं खाता संख्या 70 में कोई हिस्सा बकाया प्रथमपक्ष विक्रेता का नहीं रहा है।

जो कि बेची गई भूमि समस्त प्रकार के राजकीय एवं जन साधारण के भारों, बंधनो, झगड़ों आदि से पूर्णतया मुक्त व साफ है तथा इसमें विक्रेता का कोई हक या हिस्सा नहीं रहा है। यदि भविष्य में विक्रेता के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों के त्रुटि पूर्ण होने के कारण उक्त भूमि या इसका कोई अंश क्रेता के कब्जे से निकल जावे तो उसकी क्षतिपूर्ति विक्रेता करना स्वीकार करती है अन्यथा क्रेता को विक्रेता से वसूली का अधिकार होगा।

जो कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में विक्रेता का सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय अथवा किसी न्यायालय इत्यादि के समक्ष कोई वाद या विवाद लम्बित नहीं है।

जो कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार के कोई कर, लगान इत्यादि की राशि बकाया नहीं है, परन्तु फिर भी ऐसी कोई राशि बकाया निकली तो इस विक्रय पत्र की तिथि तक की ऐसी समस्त बकाया राशि की अदायगी की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता की होगी। उक्त भूमि से सम्बन्धित सभी दस्तावेजात निष्पादक ने इस विक्रय पत्र के निष्पादन के समय क्रेता को सम्भला दिये है।

जो कि उक्त भूमि का नामान्तकरण क्रेता इस विक्रय पत्र के आधार पर अपने हित में करवाने का अधिकारी है। नामान्तकरण या अन्य किसी कार्यवाही में विक्रेता के हस्ताक्षरों, बयानों, गवाही आदि की जरूरत हुई तो विक्रेता, क्रेता को हर संभव सहयोग देने हेतु तत्पर रहेंगा।

उक्त भूमि किसी भी सड़क से लगती हुई नहीं है। मुख्य जयपुर-टोंक रोड़ से करीबन् 1/2 कि.मी. से अधिक दूर, आबादी से 1 कि.मी. दूर है तथा भूमि की किस्म सिंचित है।

विक्रय पत्र की रजिस्ट्री सम्बन्धी व स्टाम्प शुल्क आदि का खर्चा क्रेता द्वारा वहन किया गया है कि जो पहले से क्रेता के जिम्मे तय था।

यह कि विक्रेता को आयकर विभाग से पेन नम्बर आवंटित नहीं है, क्रेता के पेन नं. AAATJ3434D है।

क्रमशः...4

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

श्री रामावतार पुत्र श्री भगवान सिंह

जाति उच्च निवासी मुहल्ला

श्री [illegible] पुत्र [illegible]

जाति [illegible] निवासी/काश्तकार

ने उक्त विक्रेता/रहनकर्ता मेरे।

व्यक्तिगत रूप से पहचान कर स्वीकार किया है।

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

रामावतार

कोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

पृ:...4

243

अत : यह विक्रय पत्र विक्रेता ने अपनी निजी इच्छा एवं प्रसन्नता से होस हवास की अवस्था में एक स्टाम्प कीमती 100/- रूपया व तीन पाई पेपर कुल किता चार पर बहक क्रेता लेख्य कर दिया और उक्त विक्रय पत्र की ईबारत को भली प्रकार से पढ़कर, समझकर, सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर निम्न गवाहान् की उपस्थिति में कर दिये कि प्रमाण रहे, आवश्यकता के समय काम आवे । इति।

हीरालाल

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता

गवाहान्:

1. हस्ताक्षर
नाम :
पिता का नाम :
जाति उम्र वर्ष,
निवास स्थान :

2.हस्ताक्षर
नाम :
पिता का नाम :
जाति उम्र वर्ष,
निवास स्थान :

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष क्रेता

ड्राफ्टकर्ता :
तीर्थ नारायण कुमावत
नीति पत्र लेखक
तहसील सांगानेर
दर्ज रजि. नं. 130 है।

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

यह दस्तावेज 072 रुपये की न्यूनतम
से 6980 रुपये के मुद्रांक पर लिया जाना
माना जावे। बकाया मुद्रांक 6980 रुपये
जरिये रसीद नं. 58/8 दिनांक 4/9/2007
जमा किये गए।

उपपंजीयक, कोटखावदा

4-9-2007

...पृष्ठ संख्या...
...की पुस्तक संख्या 1... जिल्द नं. 42
...के पृष्ठ संख्या 152
...एक दस्तावेज किया गया एवं
...की पुस्तक संख्या 130 ...को पृष्ठ संख्या
240 से 242 तक फोटो किया गया।

उप पंजीयक
कोटखावदा, जयपुर।

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक
कोटखावदा (जयपुर)

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26(बी)

ग्राम का नाम :- रामपुराबुजुर्ग
तहसील :- चाकसू
सम्वत :- 2066 - 2069
क्षेत्रफल :- हैक्टेयर

पटवार हल्का :- बडली
जिला :- जयपुर
वास्तविक सम्वत :- 2066

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- कौथून
दिनांक :- 08/04/2015

पृष्ठ संख्या 1 of 6

खेवट(खतोनी) नया	खेवट(खतोनी) पुराना	भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		सिंचाई के साधन	लगान दर	लगान रकम	नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि व्यौरा विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
31	99मि	राज. सरकार	गोपाल बद्री पि.लाला हि.1/6 भूरा पुत्र भोमा हि.1/2 किशनलाल पुत्र कालूराम हि.1/8 जाति माली सा.देह जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एज्यूकेशनल सोसायटी पंजी.कार्यालय 3 इन्स्टीट्यूशनल एरिया रोहिणी दिल्ली जरिये चेयरमेन मनीष गुप्ता पुत्र स्व.जगन्नाथ गुप्ता हि.1/8 गटूनीदेवी पत्नि कैलाशचन्द माली नि.चाकसू हि.1/12	742	0.0400	गै.मु.चाह	0.0400				* नोट स.: 8 - नि.दि.: 09/03/2012 के द्वारा स्थगन अप्रभावी हुआ (तहसील आदेश क्रमांक/1759 दि.02-03-2012) * नामा. स.: 364 - नि.दि.: 21/03/2012 - बेचान के द्वारा ख.न.743/1,849/1,851,852,853 किता5 रकबा 1.01है.मे गटूनीदेवी पत्नि कैलाशचन्द हि.1/12 के स्थान पर फिरोजा बेगम पत्नि शहजाद खाँ जाति मुसलमान प्लाट न.बी-96 अमृतपुरी घाटगेट जयपुर हि.1/12 के नाम नवीन अंकन स्वीकार * नामा. स.: 365 - नि.दि.: 29/03/2012 - बेचान के द्वारा ख.न.743/1,849/1,851,852,853 किता5 रकबा 1.01 गै.मे भूरा पुत्र भोमा हि.1/2 के स्थान पर कमरूद्दीन पुत्र चाँद खाँ जाति कुरैशी हि.1/2नि.वार्ड न.4 कस्बा चाकसू के नाम नवीन अंकन स्वीकार * नामा. स.: 367 - नि.दि.: 05/05/2012 - बेचान के द्वारा किता 5 रकबा 1.01 मे बद्री पुत्र लाला हि.1/12 के स्थान पर कमरूद्दीन पुत्र चाँद खाँ जाति कुरैशी नि.वार्ड न.4 चाकसू हि.1/12 के नाम	140,165 ,173,266,
				743	0.2300	चाही 3	0.2300	742	24	5.52			
				849	0.5600	चाही 3	0.5600		24	13.44			
				851	0.0800	बारानी 2	0.0800		8	0.64			
				852	0.1200	बारानी 2	0.1200		8	0.96			
				853	0.1100	बारानी 2	0.1100		8	0.88			
31 (मजदूर)		राज.											

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

42

(कम्प्यूटर में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर तैयार)
"अक्षय लेखा केन्द्र से जारी एवं सत्यापित प्रति"

दिनांक 8/4/15

हस्ताक्षर
अ. पटवारी

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र ग्री-26(बी)

ग्राम का नाम :- रामपुराबुजुर्ग
तहसील :- चाकसू
सम्वत :- 2066 - 2069
क्षेत्रफल :- हैक्टेयर

पटवार हल्का :- बडली
जिला :- जयपुर
वास्तविक सम्वत :- 2066

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- कौथून
दिनांक :- 08/04/2015

पृष्ठ संख्या 2 of 6

खेवट(खतोनी)		भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	लगान		नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि व्यौरा विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
नया	पुराना							दर	रकम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		सरकार										

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

31 (मजकूर) राज. सरकार

नवीन अंकन स्वीकार
* नामा. स.: 371 - नि.दि.:
21/06/2012 - भूमि-अवाप्ति के
द्वारा
ख.न.742/0.04,743/0.01,849/0.08,
पोत परिवहन सड़क परिवहन राजमार्ग
मंत्रालय भारत सरकार के नाम
स्वीकार तथा
ख.न.743/1/0.22,849/1/0.48 बदस्तूर
जमाबन्दी रहा
* नामा. स.: 372 - नि.दि.:
20/07/2012 - बेचान के द्वारा किता
5 रकबा 1.01 है.मे फिरोजाबेगम हि.
1/12 गोपाल हि. 1/24 के स्थान पर
फातिमा बेगम पत्नि कमरुद्दीन
हि.1/12 व कमरुद्दीन कुरेशी पुत्र
चाँद खाँ जाति कुरेशी नि. वार्ड न.
4 कत्वा चाकसू हि. 1/24 के नाम
नवीन अंकन स्वीकार शेष गोपाल
हि.1/24 बदस्तूर रहा
* नोट स.: 21 - नि.दि.: 23/03/2015
के द्वारा स्थगन अप्रभावी हुआ
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो. चाकसू
(तह. आदेश क्रमांक/भू.अ./15/1313
दिनांक19/03/2015 मि. न. 327/12
उतवान जगदीश बनाम भूरा

(कम्प्यूटर में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर तैयार)
"अपना खाता केन्द्र से जारी एवं सत्यापित प्रति"

क्रमांक दिनांक 24/4/15

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26(बी)

ग्राम का नाम :- रामपुराबुजुर्ग | पटवार हल्का :- बडली | भू.अभि.नि.क्षेत्र :- कोयून | पृष्ठ संख्या 3 of 6

तहसील :- चाकसू | जिला :- जयपुर | दिनांक :- 08/04/2015

सम्वत :- 2066 - 2069 | वास्तविक सम्वत :- 2066

क्षेत्रफल :- हैक्टेयर

खेवट(खतोनी) नया	खेवट(खतोनी) पुराना	भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	लगान दर	लगान रकम	नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि व्यौरा विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल			कुल खसरा : 6	कुल क्षेत्रफल : 1.1400		भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल			21.44			
						चाही 3 0.7900			18.96			
						बारानी 2 0.3100			2.48			
						गै.मु.चाह 0.0400						
38	99मि	राज. सरकार	जगदीश गोपाल बद्री पि.लाभा हि.1/4 किशननाल पुत्र कानूराम हि.1/8 जाति माली सा.देह जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एज्यूकेशनल सोसायटी पंजी. कार्यालय 3 इन्स्टीट्यूशनल एरिया दिल्ली जरिये चेयरमेन मनीष गुप्ता पुत्र स्व.जगन्नाथ गुप्ता हि.1/8 श्रीमति शिमलादेवी पत्नि ईश्वरलाल सैनी हि.1/4 ईश्वरलाल पुत्र रामकरण सैनी हि.1/4जाति माली सा.देह	684	0.3300	चाही 1 0.3300	418	38	12.54	* नामा. स.: 304 - नि.दि.: 04/06/2010 - बेचान के द्वारा ख.नं.684 रकबा 0.33 है पर ईश्वरलाल पुत्र रामकरण जाति माली हि.1/4 के स्थान पर रेहाना पत्नि नोसाद अली जाति मुसलमान नि.ए-96 कृष्णानगर बोरिंग रोड कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर हि.1/4 स्वीकार शेष बदस्तूर रहा।	ना.स.140,165 ,173,272,187 ,271
कुल			कुल खसरा : 1	कुल क्षेत्रफल : 0.3300		भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल			12.54			
						चाही 1 0.3300			12.54			
50	108	राज. सरकार	जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एज्यूकेशनल सोसायटी पंजी.कार्यालय 3 इन्स्टीट्यूशनल एरिया राठिशी दिल्ली जरिये चेयरमैन मनीष गुप्ता पुत्र जगन्नाथ गुप्ता हि.5/8 रामनारायण पुत्र भूरा हि.1/4जयनारायण	835	0.0200	गै.मु.चाह 0.0200						133,134,187
50 (मजकूर)		राज. सरकार	जुगलकिशोर प्रहलाद पि.जोधा रामा पत्निजोया हि.1/48 श्यामसुन्दर रामस्वरूप बाबूलाल पि. पांच्या लक्ष्मी									

(कम्प्यूटर में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर तैयार)

"अपना खाता केन्द्र से जारी एवं सत्यापित प्रति"

दिनांक 8/4/15

हस्ताक्षर

पदनाम

(44)

Jagan Nath University Jaipur Registrar

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26(ची)

ग्राम का नाम :- रामपुराबुजुर्ग
तहसील :- चाकसू
सम्वत :- 2066 - 2069
क्षेत्रफल :- हैक्टेयर

पटवार हल्का :- बडली
जिला :- जयपुर
वास्तविक सम्वत :- 2066

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- कौथून
दिनांक :- 08/04/2015

पृष्ठ संख्या 4 of 6

खेवट(खतोनी)		भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	लगान		नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि ब्यौरा विशिष्टियों जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
नया	पुराना							दर	रकम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			पवि पाच्या हि.1/48 भगवान पुत्र बिजयलाल तीजा पवि बिजयलाल हि.1/48 जाति माली सा.देह खातेदार									
कुल				कुल खसरा : 1		कुल क्षेत्रफल : 0.0200	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल गै.सु.चाह 0.0200					
51	20,70	राज.	जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एज्यूकेशनल सोसायटी पंजीकृत कार्यालय 3 इन्स्टीट्यूशनल एरिया सैक्टर 5 रोहिणी दिल्ली जरिये चेयरमेन मनीष गुप्ता पुत्र जगन्नाथ	330/2	0.1000	बारानी 2	0.1000	8	0.80			ना.सं.123,13
	49	सरकार		831/2	0.0500	बारानी 2	0.0500	8	0.40			0,131,
	50			832/1	0.2300	गै.सु.कालेज	0.2300					132,152,155
				832/2	0.2200	गै.सु.कालेज	0.2200					,159,
				833	0.0600	गै.सु.कालेज	0.0600					160,255,256
				834	0.2500	गै.सु.कालेज	0.2500					,241,
				839	0.4200	गै.सु.कालेज	0.4200					231,161,169
				840	0.0100	गै.सु.कालेज	0.0100					,174,
				841	0.0300	गै.सु.कालेज	0.0300					178,185,186
				842	0.0300	गै.सु.कालेज	0.0300					,200,
				843	0.0900	गै.सु.कालेज	0.0900					221,220,223
				844	1.2500	गै.सु.कालेज	1.2500					,224,
				847	0.0200	गै.सु.कालेज	0.0200					166,135,136
				848	0.1100	गै.सु.कालेज	0.1100					,156,
				856	1.9900	गै.सु.कालेज	1.9900					167,247,158
				856/1	0.0600	बारानी 3	0.0600	4	0.24			,172,
				857	1.3100	गै.सु.कालेज	1.3100					175,162,243
				858	1.2000	गै.सु.कालेज	1.2000					ना.सं.226,133
				859	1.0700	गै.सु.कालेज	1.0700					,134
				860	0.4200	गै.सु.कालेज	0.4200					
51 (मजकूर)		राज. सरकार										

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

(कम्प्यूटर में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर तैयार)
अपना खाता केन्द्र से जारी एवं सत्यापित प्रति

दिनांक 8/4/15

(45)

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26(बी)

ग्राम का नाम :- रामपुराबुजुर्ग | पटवार हल्का :- बड़ली | भू.अभि.नि.क्षेत्र :- कौशून | पृष्ठ संख्या 5 of 6

तहसील :- चाकसू | जिला :- जयपुर | दिनांक :- 08/04/2015

सम्वत :- 2066 - 2069 | वास्तविक सम्वत :- 2066

क्षेत्रफल :- हैक्टेयर

खेवट(खतोनी)		भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	लगान		नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि ब्यौरा विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
नया	पुराना							दर	रकम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				861	0.2500	गै.मु.कालेज	0.2500					
				862	0.2400	गै.मु.कालेज	0.2400					
				863	0.5500	गै.मु.कालेज	0.5500					
				864	0.0900	गै.मु.कालेज	0.0900					
				865	0.0500	गै.मु.कालेज	0.0500					
				866	0.2100	गै.मु.कालेज	0.2100					
				867	0.0200	गै.मु.कालेज	0.0200					
				868	0.0500	गै.मु.कालेज	0.0500					752
				869	0.0400	गै.मु.कालेज	0.0400					
				870	0.0300	गै.मु.कालेज	0.0300					
				871	0.2500	बारानी 3	0.2500	4	1			
				872	0.1400	बारानी 3	0.1400	4	0.56			
				873	0.1700	बारानी 3	0.1700	4	0.68			
				874	0.1700	बारानी 3	0.1700	4	0.68			
				875	0.1100	बारानी 3	0.1100	4	0.44			
				876	0.0500	बारानी 3	0.0500	4	0.20			
				877	0.0300	बारानी 3	0.0300	4	0.12			
				877/1	0.1800	बारानी 3	0.1800	4	0.72			
				878	0.2000	बारानी 3	0.2000	4	0.80			
				879	0.1400	गै.मु.कालेज	0.1400					
				879/1	0.0400	बारानी 3	0.0400	4	0.16			
				880	0.2300	गै.मु.कालेज	0.2300					
				881	0.5300	गै.मु.कालेज	0.5300					
				882	0.4800	गै.मु.कालेज	0.4600					
				883	0.2700	गै.मु.कालेज	0.2700					
				884	0.3400	चाही 3	0.3400	24	8.16			
				885	0.1700	बारानी 1	0.1700	10	1.70			

51 (मजबूर) राज. सरकार

Registrar Jagan Nath University Jaipur

(कम्प्यूटर में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर तैयार)
"अपना खाता केन्द्र से जारी एवं सत्यापित प्रति"

दिनांक 8/4/15

(46)